प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 12 जुलाई, 2021

विषयः–मै0 श्रावंती एनर्जी प्रा0लि0 गुड़गांव हरियाणा, एन0सी0आर0 दिल्ली को ग्राम खाईखेड़ा तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर में गैस आधारित ऊर्जा परियोजना हेतु 7.21 एकड़ भूमि क्रय की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–6679/सात–78/2018, दिनांक 02–08–2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मै0 श्रावंती एनर्जी प्रा0लि0 गुड़गांव हरियाणा, एन0सी0आर0 दिल्ली को ग्राम खाईखेड़ा तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर में गैस आधारित ऊर्जा परियोजना हेतु 9.81 एकड़ भूमि क्रय की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था।

2– उपरोक्त के क्रम में अधिकृत हस्ताक्षरी, श्रावंती एनर्जी प्रा0लि0, कारपोरेट कार्यालय, एल0ली0 फ्लोर, राईडर हाऊस, 136 सेक्टर–44 गुडड़गांव, एन0सी0आर0 दिल्ली द्वारा दिनांक 31–08–2018 को एक शपथ पत्र शासन को प्रेषित किया गया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि कम्पनी द्वारा पूर्व में अवशेष 9.81 एकड़ भूमि क्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन किया गया था। चूंकि कम्पनी को 9.81 एकड़ के स्थान पर 7.21 एकड़ भूमि की ही आवश्यकता है, इसलिए अब कम्पनी को 7.21 एकड़ भूमि क्रय की अनुमति प्रदान करना चाहें।

3– उक्त के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मै0 श्रावंती एनर्जी प्रा0लि0 गुड़गांव हरियाणा, एन0सी0आर0 दिल्ली को ग्राम खाईखेड़ा तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर में गैस आधारित ऊर्जा परियोजना हेतु 7.21 एकड़ भूमि क्रय की अनुमति ऊर्जा विभाग की संस्तुति के क्रम में उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2019, दिनांक 15 जनवरी, 2020 की धारा–154 (2)(क) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा–154(4)(3)(V) में उल्लिखित प्रयोजनों हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

.....2

2– केता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी औद्योगिक प्रयोजन (गैस आधारित ऊर्जा परियोजना) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता है अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होगा।

3– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

6– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग प्रस्तावित मेगा प्रोजेक्ट में Generation and Transmission of electricity energy produced in gas based Thermal Power Plants की स्थापना हेतु औद्योगिक आस्थान की स्थापना हेतु किया जायेगा।

7– उक्त परियोजना से उत्पादित होने वाली विद्युत को राज्य सरकार अथवा यू0पी0सी0एल0 क्रय हेतु बाध्य नहीं होगा।

8– मेगा प्रोजेक्ट हेतु स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा नागरिक सुविधाओं का दायित्व आस्थान के प्रर्वतक कम्पनी का होगा।

9– आस्थान को विकसित करने हेतु विभिन्न विभागो जैसे–तेल एवं प्राकृतिक गैस, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि0 आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होगें वह प्रर्वतक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेगी।

10– इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्यम में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

11– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विषेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्रोधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगें।

12– किसी भी दशा में प्रस्तावित केता को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

....3

13– भूमि का विक्रय उस उपयोग हेतु शासन की अनुमति से किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए शासन द्वारा क्रय की अनुमति प्रदान की गयी है।

14– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

15– इकाई द्वारा योजना प्रारम्भ करने से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

4– कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तो के अनुपालन स्थिति से भी ससमय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव।

संख्या– 81 /XVIII(II)/2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग/औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
4– महाप्रबन्धक, परियोजना, श्रावंती एनर्जी प्रा0लि0 गुड़गांव हरियाणा, एन0सी0आर0 दिल्ली।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।